पत्रांक 2257(18)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंकर प्रसाद
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन।

सभी प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज।

सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल।

पटना, दिनांक :— 21.12.16

विषय :— दिव्यांगों (विकलांग) को जांच कर प्रमाण—पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :— बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के पत्रांक 43490 दिनांक 14.12.2016 के संदर्भ में।

महाशय,

विगत में कई पत्रों के द्वारा आप सभी को दिव्यांगों (विकलांग) को प्रमाण—पत्र निर्गत करने के लिए प्रत्येक सप्ताह में एक दिन निर्धारित कर, तदोनुसार इसका वृहत प्रचार—प्रसार कर क्षेत्र के सभी दिव्यांगों (विकलांग) का प्रमाण—पत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया था। परन्तु अनेक जगहों से शिकायतें प्राप्त हो रही है कि इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है एवं कई जिला में तो प्रमाण—पत्र बिल्कुल ही नहीं निर्गत किया जा रहा है। निर्गत किए गए सभी प्रमाण पत्रों के संबंध में एक मासिक प्रतिवेदन सम्बन्धित जिला कल्याण पदाधिकारी, सम्बन्धित जिला पदाधिकारी एवं निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं को भी भेजने का निर्देश दिया गया था। परन्तु इसका भी अनुपालन आप सभी के द्वारा नहीं किया जा रहा है।

बिहार मानवाधिकार आयोग ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लेकर कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त की है।

अतः आपलोगों को निदेशित है कि प्रत्येक सप्ताह में एक दिन निर्धारित कर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सभी सदर अस्पताल एवं सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल में इस संबंध में आवेदन आमंत्रित कर प्रमाण—पत्र निर्गत किया जाय एवं उस दिन के संबंध में अपने जिला में व्यापक प्रचार—प्रसार करावें तथा अपने क्षेत्र के विभिन्न गाँवों/विद्यालयों में जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी के सहयोग से विशेष कैम्प आयोजित कर इस संबंध में सभी बैकलॉग मामलों का निपटारा एक माह में सुनिश्चित

किया जाय तथा इस संबंध में कृत कार्रवाई के संबंध में प्रतिवेदन विशेष दूत के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

विश्वासभाजन

(शंकर प्रसाद) 20/12/16

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :- 2257 पटना, दिनांक :- 21.12. /2016

प्रतिलिपि :–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/16

शंकर प्रसाद

विशेष कार्य पदाधिकारी।